

	कार्यालय नगर निगम जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक:-	एफ-5()कार्मिक/सा.प्र./ननिज/2026/ 1852 दिनांक:- 3/2/2026

कार्यालय आदेश

श्री रामस्वरूप मीणा, हैल्पर (विद्युत), विद्युत शाखा, नगर निगम जयपुर की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज जन्म दिनांक 08.05.1966 के अनुसार इनकी अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के उप नियम 56 के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप मीणा, हैल्पर (विद्युत) को दिनांक 31.05.2026 को मध्याह्न पश्चात् निगम सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरिनामित श्री रामस्वरूप मीणा, हैल्पर (विद्युत) के विरुद्ध नगर निगम जयपुर में:-

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16/17 के अधीन विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेखा मीणा)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, प्रशासक, नगर निगम जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर
5. उपायुक्त सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम (कार्मिक), नगर निगम जयपुर
7. एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा (मु०), नगर निगम जयपुर
8. संस्थापन लिपिक
9. सम्बन्धित श्री.....
10. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर
11. गार्ड फाईल

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Rana Meena
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2026.02.03 11:44:18 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No.:
20287079

